न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं.– /2016–17 पुर्नरीक्षण R 1351-PBR/17

पुनमचन्द्र पिता नन्दाजी जाति बलाई, धंधा कृषि,निवासी ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

.........आवेदक

विरूद्ध

1–घनश्याम पिता भागीरथजी जाति अहीर निवासी ग्राम बिचौली तहसील महू जिला इन्दौर

2–राजेन्द्र पिता भागीरथजी जाति अहीर निवासी ग्राम बिचौली तहसील महू जिला इन्दौर

3–रामेश्वर पिता नन्दाजी जाति बलाई निवासी ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (मृत)

वारिसानः–

(अ)–श्रीमति भागवंताबाई विधवा रामेश्वरजी जाति बलाई, निवासी ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन हाल मुकाम ग्राम रोलाय (बेटमा के पास) तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

(ब)–श्रीमति राधाबाई पति कमल पुत्री रामेश्वरजी जाति बलाई निवासी ग्राम रोलाय (बेटमा के पास) तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

(स)–श्रीमति संतोषबाई पति रवि जाति बलाई निवसी ग्राम आकासुदा तहसील व जिला इन्दौर

(द)–श्रीमति सुनिताबाई पिता रामेश्वरजी जाति बलाई निवासी ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

(ध) श्रीमति रीनाबाई पिता रामेश्वरजी जाति बलाई निवासी ग्राम रोलाय (बेटमा के पास) तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

4–पटवारी मौजा ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

5–अम्बाराम पिता नन्दाजी जाति बलाई निवासी ग्राम उबराड़िया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

...............अनावेदकगण

पुर्नरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर (श्री सुदीप मीणा) द्वारा प्रकरण क्रं.–178/अ–6/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 14–03–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर पुर्नरीक्षण आवेदन पत्र

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

निरंतर............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1351–पीबीआर/2017 **जिला उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण विक्रय पत्र से संबंधित है और आवेदक द्वारा चाहा गया प्रकरण बटवारे से संबंधित है इसलिये प्रकरण में प्रचलित प्रकरण से उसका कोई संबंध नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	